

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या 42.....

वर्ष 20.23....

विविधवाद / प्रथम अपील



DISPOSED

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती संगीता कुमारी
ग्रा०- बरवाडीह, प०- कोष, प्र०- अनेका
जिला- धातेहर

प्रतिवादी जिला आयुक्ता पदाधिकारी,
धातेहर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
२७.०७.२०२३	<p style="text-align: center;">झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कैम्प कार्यालय, लातेहार वाद सं०-५२/२०२३</p> <p>आज दिनांक-27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक-11 पर अंकित शिकायतकर्ता संगीता कुमारी, ग्राम-बरवाडीह, पंचायत-कोपे, प्रखण्ड-मनिका, जिला-लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि उन्हें माह अगस्त, 2022 से माह अक्टूबर, 2022 तक राशन नहीं दिया गया है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक-WA/413/2022 दिनांक-11.07.2023 के माध्यम से अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।</p> <p>उक्त मामले में आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया गया कि शिकायतकर्ता को सवा गुणा मुआवजा सहित बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	